राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 07/2019
जीसीएमएस नम्बर – 2019/00645

1. शिवचन्द पुत्र पोखर जाति अहीर निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
2. विद्या देवी पत्नी शिवचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

....................वादीगण

बनाम

1. हंसराज पुत्र भोलू जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
2. बहादुर पुत्र लादू जाति जाट।
3. अणची देवी पत्नी बल्लाराम जापति जाट।
4. कमल पुत्र शेर सिंह जाति जाट समस्त निवासीगण ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
5. चांदकौर पुत्री बल्लाराम पत्नी रामजीलाला जाति जाट निवासी गौरीर जोस्ट मेहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनु राजस्थान।
6. धनकौरी पुत्री श्योचन्द पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7. निहाली पुत्री श्योचन्द पत्नी गुलझारी लाल जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
8. पूनम पुत्री शेरसिंह ।
9. नरेश कुमार पुत्र बुद्धराम ।
10. राजेश कुमार पुत्र बुद्धराम जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
11. माईचन्द पुत्र बल्लाराम ।
12. मालड़ी पत्नी चन्दगीराम।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

13. निमकौर पुत्री बल्लाराम पत्नी तेजाराम जाति जाट हाल निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
14. मोहिनी देवी पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासीनिवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
15. रणसिंह पुत्र श्योचन्द।
16. राजेश पुत्र श्योचन्द।
17. रामनिवास पुत्र चन्दगीराम ।
18. रोहिताश पुत्र चन्दगीराम।
19. बिजेन्द्र पुत्र चन्दगीराम।
20. विनोद पुत्र श्योचन्द।
21. शैतान पुत्र बल्लाराम।
22. श्रवण पुत्र चन्दगीराम।
23. शान्ति पत्नी श्योचन्द जाति जाट समस्त निवासीगण निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
24. सुनीता पुत्री शेरसिंह पत्नपी मनोज कुमार जाति जाट निवासी बदराणा तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
25. सुभाष पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासीनिवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
26. सुभाष कुमार पुत्र गणपत जाति अहीर निवासी सातड़िया हाल आबाद निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
27. अशोक कुमार पुत्र गणपत।
28. कर्णसिंह पुत्र गणपत जाति अहीर समस्त निवासीगण निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
29. शारदा पुत्री गणपत सिंह पत्नी राजेन्द्र जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला झुझुनू राजस्थान।
30. लीलाधर पुत्र जयनारायण।
31. छेलुराम पुत्र जयनारायण।
32. सतपाल पुत्र जयनारायण जाति अहीर समस्त निवासीगण निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
33. गिन्दोदेवी पुत्री जयनारायण पत्नी विद्यानन्द जाति अहीर निवासी डेरोली अहीर तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
34. रामेश्वरी पुत्री जयनारायण पत्नी जयपाल ज[illegible] निवासी डेरोली अहीरा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
35. प्रभुदयाल पुत्र गणेशा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

36. पोकर पुत्र गणेशा जाति अहीर समस्त निवासीगण निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
37. भागोती पत्नी ओंकार।
38. सुबेसिंह पुत्र ओंकार।
39. सरतीदेवी पत्नी प्रभुदउयाल जाति अहीर समस्त निवासीगण निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
40. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना जरिये शाखा प्रबंधक।
41. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।

..............................प्रतिवादीगण

दावा बाबत –खाता विभाजन एंव पत्थरगढी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08–12–2022

(1). वादी की ओर से वाद पत्र रहा कि–

1. यह कि ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान में स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 223 के खसरा नंबर 110 रकबा 1.31 है0 खसरा नंबर 140 रकबा 2.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.41 है0 में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वादीया संख्या 2 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। तथा शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है।

2. यह क वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का बाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा बाहमी बंटवारा के अनुसार ही काबिज कास्त है। लेकिन आज तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है।

3. यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत रूप से विभाजन करवाने के लिये कहा गया तो उसके द्वारा इन्कार कर दिया गया। इसलिये वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । तथा साथ ही वादीगण द्वारा दिनांक 09.11.2017 को अपने हिस्से की भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है।

4. यह कि पडौसी खातेदारो से हमेशा ही सीमा संबंधी विवाद बना रहता है इसलिये वादीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जिससे की पड़ौसी खातेदार सीमा संबंधी विवाद पैदा ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. यह कि वादीगण अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवा कर अपने हिस्से की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं।
6. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 39 वादीगण के पड़ौसी खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 40 से ऋण लिया हुआ है इसलिये उनको पक्षकार बनाया गया है।
7. यह कि वाद वर्णित भूमि श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण श्रीमान जी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

8. यह कि दावा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
9. यह कि दावा के साथ अपटुडेट रिकॉर्ड व वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि –

(क) कि ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान में स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 223 के खसरा नंबर 110 रकबा 1.31 है0 खसरा नंबर 140 रकबा 2.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.41 है0 में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा भाग व वादीया संख्या 2 का हिस्सा 1/4 भाग का खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे।

(ख) कि वादीगण की भूमि का दिनांक 09.11.2017 सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की जावे।

(ग) कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो अयाचित रह गया हो वादीगण को दिलवाया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। बाबवजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादीगण ने अपना पत्थरगढी का अनुतोष वापिस लेने की सहमति दी गई है।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78,नकल नक्शा किश्तवार पेश किए गए।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 15–03–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट क्रमांक 2612 दिनांक 06–10–2022 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 10–10–2022) को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 223 के खसरा नम्बर 110 रकबा 1.31 है., खसरा नम्बर 140 रकबा 2.10 है., किता 2 रकबा 3.41 है., भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 08–12–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:31 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 09/2019
निर्णय दिनांक:– 08–12–2022

शिवचंद आदि **बनाम** हंसराज आदि

दावा बाबत –खाता विभाजन एंव पत्थरगढी

वादीगण की ओर से **श्री गुलशन डांगी एडवोकेट** की में उपस्थिति मे तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **08–12–2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 223 के खसरा नम्बर 110 रकबा 1.31 है., खसरा नम्बर 140 रकबा 2.10 है., किता 2 रकबा 3.41 है., भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **08–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)